129 Most students with mild to moderate disabilities have _____ factors that impede learning.

(A) Metacognitive factors

(B) Motor factors

(C) Social factors

(D) Cognitive factors

मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में _____ कारक सीखने में बाधा डालते है।

(A) परासंज्ञानात्मक कारक

(B) क्रियात्मक कारक

(C) सामाजिक कारक

(D) संज्ञानात्मक कारक

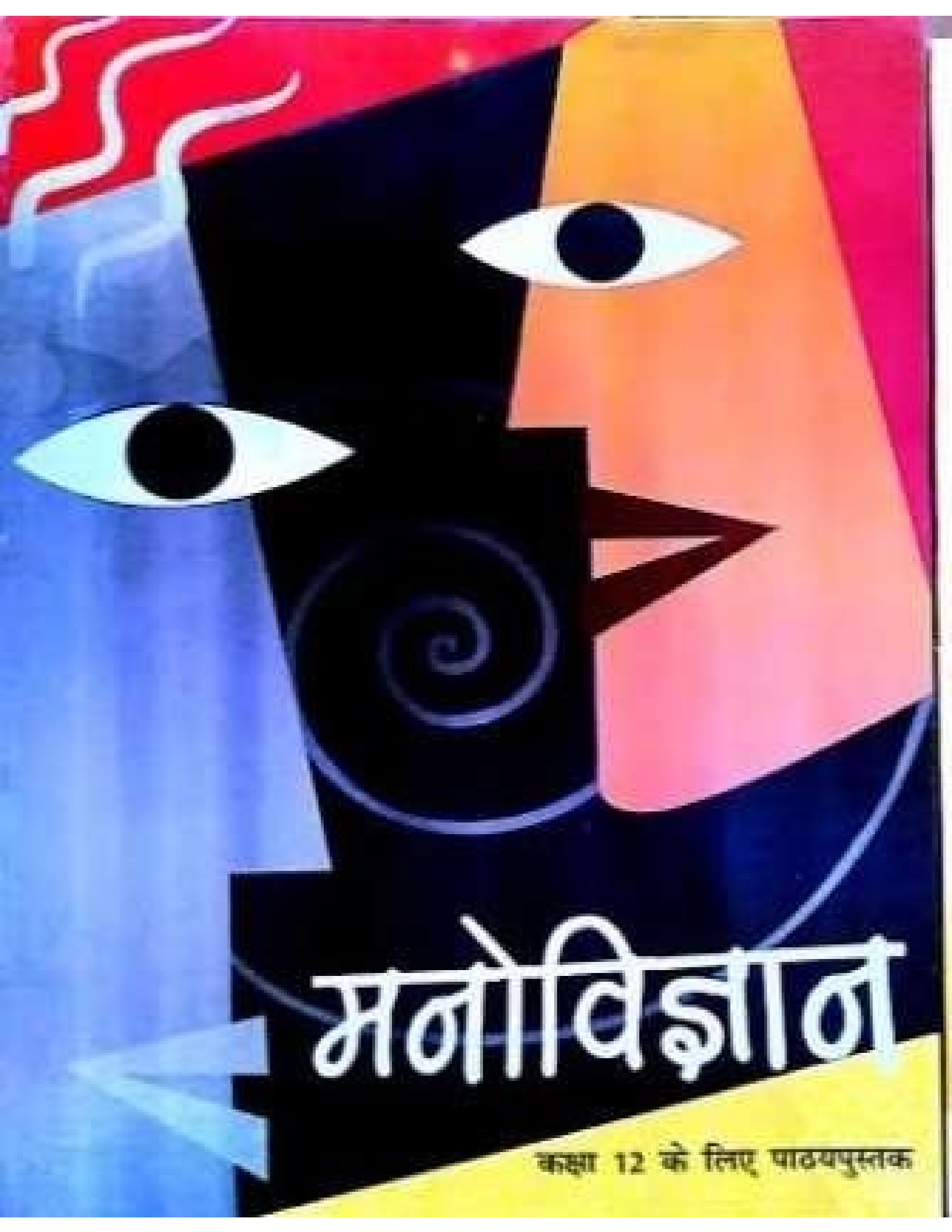
मनोविज्ञान
कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

मनोविज्ञान

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

12124

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

2022-23

12124 – मनोविज्ञान

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-749-3

प्रथम संस्करण

अप्रैल 2007 चैत्र 1929

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2008 पौष 1930
दिसंबर 2009 पौष 1931
नवंबर 2010 अग्रहायण 1932
जनवरी 2012 माघ 1933
नवंबर 2014 कार्तिक 1936
दिसंबर 2015 पौष 1937
फ़रवरी 2017 माघ 1938
फ़रवरी 2018 माघ 1939
दिसंबर 2018 अग्रहायण 1940
सितंबर 2019 भाद्रपद 1941
जनवरी 2021 पौष 1942
नवंबर 2021 कार्तिक 1943

PD 5T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007

₹ 140.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा अंकुर ऑफ़सेट प्राइवेट लिमिटेड, ए-54, सैक्टर-63, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी,फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*विपिन दिवान*
सहायक संपादक	:	*एम. लाल*
उत्पादन सहायक	:	*प्रकाश वीर सिंह*

आवरण एवं चित्रांकन

निधि वाधवा

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

मुख्य सलाहकार

आर.सी. त्रिपाठी, *प्रोफ़ेसर एवं निदेशक*, जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूसी, इलाहाबाद

सदस्य

आनंद प्रकाश, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

अनुराधा भंडारी, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

दामोदर सुआर, *प्रोफ़ेसर*, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी., खड़गपुर

कोमिला थापा, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लीलावती कृष्णन, *प्रोफ़ेसर*, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी., कानपुर

नीलम श्रीवास्तव, *भूतपूर्व अध्यापिका*, वसंत वैली स्कूल, वसंत कुंज, नयी दिल्ली

पूर्णिमा सिंह, *प्रोफ़ेसर*, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी., नयी दिल्ली

आर.सी. मिश्र, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

शोबिनी एल. राव, *प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गाँव

सुनीता अरोड़ा, *वरिष्ठ परामर्शदाता*, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1, रूप नगर, दिल्ली

सुषमा गुलाटी, *प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष*, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

यू.एन.दास, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

हिंदी अनुवाद

अंजलि, *प्रवाचक*, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (कन्या), इलाहाबाद

आदेश अग्रवाल, *प्रोफ़ेसर* (अवकाशप्राप्त), दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

राकेश पांडेय, *प्रवाचक*, मनोविज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बी.डी. तिवारी, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आनंद प्रकाश, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

अनुपमनाथ त्रिपाठी, *प्रोफ़ेसर*, मनोविज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अमरनाथ त्रिपाठी, *प्रवाचक*, मनोविज्ञान विभाग, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर

सदस्य-समन्वयक

प्रभात कुमार मिश्र, *प्रवक्ता*, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

अंजुम सिबिया, *प्रवाचक*, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

से कम होती है। पहले वर्ग के लोगों को **बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली** (intellectually gifted) कहा जाता है जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को **बौद्धिक रूप से अशक्त** (intellectually disabled) कहा जाता है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं में सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं।

बुद्धि में विचलन

बौद्धिक न्यूनता

किसी जनसंख्या में एक ओर तो प्रतिभाशाली तथा सर्जनात्मक व्यक्ति होते हैं जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बहुत साधारण कौशलों को सीखने में भी बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें 'बौद्धिक रूप से अशक्त' कहा जाता है। बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफ़िशॅन्सि (ए.ए.एम.डी.) के अनुसार बौद्धिक अशक्तता से तात्पर्य *'उस अवसामान्य साधारण बौद्धिक प्रकार्यात्मकता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है'।* इस परिभाषा की तीन मूल विशेषताएँ हैं। पहली, किसी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से अशक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसकी *बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो।* जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य से पर्याप्त कम समझी जाती है। दूसरी विशेषता का संबंध *अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से है।* अनुकूलित व्यवहार का अर्थ व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बनता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से अपना समायोजन करता है। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक अशक्तता व्यक्ति की *विकासात्मक अवस्थाओं* (0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य) में ही दिखाई पड़ जाना चाहिए।

जिन व्यक्तियों को बौद्धिक रूप से अशक्त के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उनकी योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नताएँ दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जा सकता है परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और उन्हें जीवन भर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। आप पहले ही सीख चुके हैं कि किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। बुद्धि लब्धि की संख्याएँ बौद्धिक रूप से

होती हैं। बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार होते हैं - **निम्न** (बुद्धि लब्धि 55 से लगभग 70), **सामान्य** (बुद्धि लब्धि 35-40 से लगभग 50-55), **तीव्र** (बुद्धि लब्धि 20-25 से लगभग 35-40) तथा **अतिगंभीर** (बुद्धि लब्धि 20-25 से कम)। निम्न अशक्तता वाले व्यक्तियों का विकास यद्यपि अपने समान आयु वाले व्यक्तियों की अपेक्षा धीमा होता है वे स्वतंत्र होकर अपने सभी कार्य कर लेते हैं, कोई नौकरी भी कर सकते हैं और अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। अशक्तता की मात्रा जैसे-जैसे बढ़ती जाती है कठिनाइयाँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। सामान्य अशक्तता वाले व्यक्ति अपने साथ के लोगों से भाषा के उपयोग तथा अन्य पेशीय कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। इन्हें अपनी दैनिक देखभाल करने और सरल प्रकार के सामाजिक तथा संप्रेषण कौशलों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। परंतु अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए उन्हें सामान्य पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

जीवनयापन करने में अक्षम होते हैं और जीवन भर उनकी लगातार देखभाल करते रहने की आवश्यकता होती है। बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की अन्य विशेषताओं के बारे में आप अध्याय 4 में कुछ और तथ्य पढ़ेंगे।

बौद्धिक प्रतिभाशालिता

अपनी उत्कृष्ट संभाव्यताओं के कारण बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्यिों का निष्पादन श्रेष्ठ प्रकार का होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अध्ययन 1925 में उस समय प्रारंभ हुए जब लेविस टर्मन (Lewis Terman) ने 130